26/7/21 पत्रावली आज पेश हुई। अधि० वादी एवं पैरो० सरकार उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद-पत्र जवाब-दावा एवं वादग्रस्त आराजी के भू.अ. के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भू. प्रबन्ध ग्राम-निमाज की जमाबन्दी में खाता संख्या 01 सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। वादी द्वारा वाद-पत्र में अर्ज किया है कि वाद-ग्रस्त आराजी राजस्व रेकॉर्ड में 2012 से 2031 में खसरा संख्या 1129/01 रकबा 497 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम दर्ज थी। जिसे गलती से बाद गै०मु० गोचर दर्ज कर दिया गया, जो गैरकानूनी है। अतः उक्त त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए वाद-ग्रस्त आराजी की किस्म गै०मु०गोचर के स्थान पर बारानी दोयम दर्ज की जावें तथा ग्राम पंचायत निमाज द्वारा दिनांक 11/07/1970 को जारी उक्त भूमि में से 10-3 बीघा भूमि पर पट्टे के आधार पर प्रतिवादीगण जो कि भूधारक तहसीलदार एवं [illegible] कलक्टर पाली को पाबन्द किया जावे।

वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि आरम्भ में सिवायचक बारानी दोयम एवं वर्तमान में सिवायचक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:04:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
	गैर मु० गौचर है, के सम्बन्ध मे धारा 88, 188 RT Act 1955 तथा धारा- 136 LR Act 1956 के अन्तर्गत जवाब प्रस्तुत किया। चूंकि वादग्रस्त आराजी सार्वजनिक भूमि है तथा ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का आवासीय पट्टा जारी करने/ विक्रय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है तथा ऐसे दस्तावेजात आरम्भत: शून्य होते है। अत: ऐसे दस्तावेजात का कोई मूल्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी सार्वजनिक सिवायचक भूमि है। जिसका वादी द्वारा वाद-पत्र मे भी उल्लेख है, की किस्म शुद्धि या अन्य अभिलेख की शुद्धि के लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत हैसियत से दावा नहीं कर सकते। क्योंकि इसमे जनहित निहित होता है न कि व्यक्तिगत हित। वादीगण द्वारा वादपत्र मे जनहित मे वाद-पत्र प्रस्तुत करने का कोई उल्लेख नहीं किया। न ही वाद-पत्र के साथ आदेश 32 CPC के अन्तर्गत कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन हेतु इस्तदुआ की है लेकिन यह अनुतोष प्रदान करने एवं सम्बन्ध मे विचारण करने के लिए केवल राज्य सरकार सक्षम है। इस सम्बन्ध मे न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है। अत: वाद इसी स्तर पर न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मे नहीं होने, वादीगण का कोई वाद आधिकार नहीं [illegible] के साथ प्रतिनिधित्व [illegible] बाबत कोई प्रार्थना- [illegible] विचारण योग्य एवं पोषणीय नहीं होने, साथ ही वादीगण खातेदार नहीं होने के बावजूद राज० सरकार के विरुद्ध धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा तथा धारा 188 RT Act के अन्तर्गत वाद-प्रस्तुत करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:04:55 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लिए खातेदार होना विधिक अनिवार्यता होने तथा जिसके फलस्वरूप वाद-पत्र RT Act की धारा 188 से बाधित होने से वाद-पत्र आदेश-07 नियम 11 D के अन्तर्गत विधि बाधित होने से खारिज योग्य होने के कारण वाद वादी खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] S.D.O.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:04:55 IST
Reason: SelfAttested